

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 321/12

संस्थापन दिनांक :- 09/08/12

फाइलिंग नं. 233504000802012

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

दिनेश उर्फ डीके पिता घनश्याम  
 उम्र 31 वर्ष, निवासी रेल्वे कॉलोनी आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- ( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 05.06.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 08.08.2012 को समय शाम 06:00 बजे बस स्टैंड शेरू होटल के सामने आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 08.08.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि दिनेश भलावी रेल्वे स्टेशन एटीएम के पास अपने हाथ में अवैध छुरी लेकर घूम रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा एवं स्टाफ की मदद से अभियुक्त को पकड़ा। अभियुक्त द्वारा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 270/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.08.2012 को समय शाम 06:00 बजे बस स्टैंड शेरू होटल के सामने आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 08.08.2012 को थाना आमला में टी.आई के पद पर पदस्थ रहते हुए कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ रेल्वे स्टेशन एटीएम के पास पहुंचा जहां अभियुक्त हाथ में लोहे की धारदार छुरी लिए मिला, जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की धारदार छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 270/12 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-6) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल ए-1 का छुरा वही छुरा होना बताया है जो उसने अभियुक्त से जप्त किया था।

6 मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि दिनांक 08.08.2012 को थाना आमला में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए वह उक्त दिनांक को टी.आई. श्री दुबे के साथ कस्बा भ्रमण पर गया था। तभी रेल्वे स्टेशन एटीएम के सामने अभियुक्त हाथ में छुरी लेकर घूम रहा था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि घटना स्थल पर उसके समक्ष अभियुक्त से छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था।

7 अजय (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियुक्त को पहचानना प्रकट करते हुए व्यक्त किया है कि घटना रेल्वे स्टेशन एटीएम के पास की शाम की है। घटना दिनांक को वह रेल्वे स्टेशन रिजर्वेशन कराने जा रहा था तभी अभियुक्त उसके पास आया और हथियार दिखाकर उससे पैसे मांगे। जिसके

पश्चात मौके पर बहुत सारे लोग आ गये थे और अभियुक्त को थाने लेकर आ गये थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि थाने में ही उसके सामने अभियुक्त से चाकू की जप्ती कर प्रदर्श पी-1 का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-2 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

8 साक्षी आकाश (अ.सा.-2) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त को पहचानना प्रकट करते हुए व्यक्त किया है कि घटना रेल्वे स्टेशन एटीएम के पास की है। घटना के समय उसके सामने अभियुक्त ने उसकी पहचान के अजय से हथियार दिखाकर पैसे मांगे थे। जिसके पश्चात मौके पर बहुत सारे लोग उपस्थित हो गये थे और अभियुक्त को पकड़कर थाने ले आये थे। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 के जप्ती पत्रक एवं प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पत्रक पर उसके हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

9 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी अजय (अ.सा.-1) एवं आकाश (अ.सा.-2) ने अभियोजन कथा के अनुरूप अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र आर.के. दुबे (अ.सा.-4) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

10 आर.के. दुबे (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ और गवाहों के साथ मौके पर पहुंचना और अभियुक्त से छुरी जप्त कर जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही किये जाने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना व्यक्त किया है। साक्षी मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) ने विवेचक साक्षी आर.के. दुबे के साथ मौके पर पहुंचना और अपने समक्ष अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती की जाना प्रकट किया है। प्रतिपरीक्षण में आर.के. दुबे (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उनके द्वारा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा वापसी एवं रवानगी संलग्न नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं। मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वह घटना दिनांक को आर.के. दुबे के साथ जीप में बैठकर मौके पर गया था। उक्त साक्षी ने अपने समक्ष जप्ती की कार्यवाही की जाना बताया है परंतु जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों में किन गवाहों के हस्ताक्षर लिये गये थे इसकी जानकारी न होना बताया है।

11 प्रकरण में जप्ती के साक्षी अजय (अ.सा.-1) एवं आकाश (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि वे रेल्वे स्टेशन एटीएम के पास अपने काम से गये थे। जबकि विवेचक साक्षी आर.के. दुबे (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि वह साक्षियों को लेकर

मौके पर पहुंचा था। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) पर अपराध क्रमांक पहले से लेख है जिससे इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही के उपरांत तैयार किये गये होंगे। स्वतंत्र साक्षी अजय एवं आकाश ने भी थाने में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती होना बताया है जिससे कि उपर्युक्त संभावना को बल मिलता है। अभियुक्त से कथित आयुध मौके पर सीलबंद किया गया हो ऐसा विवेचक साक्षी आर.के. दुबे के कथनों से प्रकट नहीं होता है और न ही इसका कोई स्पष्टीकरण उनके कथनों से प्रकट हुआ है। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी संलग्न नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती संदेहास्पद हो जाती है।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 08.08.2012 को समय शाम 06:00 बजे बस स्टैंड शेरू होटल के सामने आमला सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त दिनेश उर्फ डीके को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)